Date of ~~order~~ of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
2	3	4
3/7/18	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–27/2016 मो0 नौशाद पे0–जैनुल, – आवेदक साकिन–मनाकोला, अंचल–चकाई, जिला–जमुई। बनाम घाधु मुर्मू पे0–स्व0 मंझलू मुर्मू, साकिन–मनाकोला, – विपक्षी अंचल–चकाई, जिला–जमुई।	

मो0–नौशाद पे0–मो0 जैनुल निवासी मनाकोला, थाना–चकाई, जिला–जमुई द्वारा विपक्षी धाधू मुर्मू के नाम चल रही जमाबन्दी संख्या–15 में दर्ज खाता संख्या–15, खेसरा सं0–698, रकवा–1.06 एकड़ को विलोपित करने हेतु दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत जमाबन्दी संख्या–15 के आंशिक रद्दीकरण वाद लाया गया है।

वाद में निहित का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा एकड़ में	जमाबन्दी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	चकाई	मानाकोला	15	698	1.06 एकड़	15

समीक्षोंपरान्त वाद को अंगीकृत की गई। विपक्षी को सूचना निर्गत की गई। कुल 30 तिथियों में विपक्षी मात्र चार दिन उपस्थित हुये। जबाव दाखिल हेतु समय लिए। मगर 24.12.2016 से अद्यतन लगातार अनुपस्थित रहे। इस से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन के दावे के संबंध में उनके पास कोई भी कागजात/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, चकाई और उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायायलय में चल रहे वाद में भी विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे है। अब इस "वाद" को आगे बढ़ाया युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता है। अतएव विपक्षी को जवाव देने से वंचित करते हुए वाद को एकपक्षीय सुना गया।

वाद द्वारा दाखिल कागजातों का विवरण निम्नवत् है :–

1. मौजा–मानाकोला, थाना संख्या–24, खाता संख्या–15 से संबंधित TERIJ OR ABSTRACT OF KHATIAN की छाया–प्रति।
2. अंचल अधिकारी, चकाई का जमाबन्दी सुधार वाद सं0–40/12–13 के आदेश की छाया–प्रति।
3. न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का जमाबन्दी सुधार वाद संख्या–53/2014–15 के आदेश की प्रति।
4. सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली की छाया–प्रति।
5. इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी, का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–489 दिनांक–30.06.2018 एवं जमाबन्दी संख्या–15 से संबंधित पंजी–2 की छाया–प्रति।

आवेदक का कहना है कि खाता संख्या–15, खेसरा सं0–689, रकवा 1.06 एकड़ उनकी खतियानी भूमि है। आवेदक मो0 नौशाद के अनुसार प्रश्नगत खतियान उनके परदादा करामत मियॉ वल्द जग्गू मियॉ के नाम से बना है। उनके पूर्वज या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा प्रश्नगत खेसरा को न तो किसी को कभी बेचा है और न ही कभी किसी को दान दिया है। वर्ष 1983–84 में विपक्षी ने हल्का कर्मचारी को मेंल में लाकर उनके खतियानी भूमि खाता संख्या–15, खेसरा संख्या–698 को बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के अपने (विपक्षी) जमाबन्दी संख्या–15 में दर्ज करवा लिया है।

आवेदक का कहना है कि मामला संज्ञान में आने पर वे अंचल अधिकारी, चकाई को जमाबन्दी संख्या–15 से उनके खाता की भूमि को खारिज कर आवेदक के जमाबन्दी में दाखिल करने के बावत जमाबन्दी सुधार वाद भी दायर किया था। आवेदक के अनुसार पूर्व में वे अंचल अधिकारी, चकाई के न्यायालय में जमाबन्दी सुधार वाद संख्या–40/12–13 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में जमाबन्दी सुधार वाद संख्या–53/2014–15 भी दायर किये थे। विपक्षी किसी भी न्यायालय में अपने दावा के पक्ष में कोई साक्ष्य/कागजात नहीं प्रस्तुत किये कि किस प्रकार आवेदक के खतियानी भूमि उनको प्राप्त हुआ।

अंचल अधिकारी, चकाई के जमाबन्दी सुधार वाद संख्या–40/12–13 के आदेशफलक एवं दिनांक–12.03.2013 के कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि फील्ड बुझारत में उक्त भूमि हुकुमनामा भू–बन्दोवस्ती दिनांक–24.06.1943 से विपक्षीगण को कई खाताओं की भूमि प्राप्त थी। विपक्षी के नाम के पंजी–2 पर खाता संख्या–15 के अतिरिक्त, खाता संख्या–37, 38 एवं 31 की कुल भूमि रकवा–21.49 एकड़ मंझला मुर्मू पे0–ठेना मुर्मू के नाम जमाबन्दी संख्या–15 पर दर्ज है।

अंचल अधिकारी, चकाई एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में लगातार सूचना देने के बावजूद विपक्षी उपस्थित होकर कोई साक्ष्य/हुकुमनामा/ कागजात अपने दावा के पक्ष में नहीं दाखिल किये। विपक्षी कही भी यह स्पष्ट नहीं किये की मो0 करामत मियॉ के नाम की रैयती खेसरा उनको कैसे प्राप्त हुआ। अगर नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त हुई है। तो तृतसंबंधित कागजात या पुर्नबन्दोवस्ती प्राप्त है द्वारा निर्गत लगान रसीद की प्रति या जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1955–56 से 1982–83 तक की लगान रसीद प्रति। विपक्षी के दावा के लिये अपेक्षित थी। मगर विपक्षी द्वारा तीन तिथियों को उपस्थित होकर समय मॉगा गया। फिर लगातार अनुपस्थित रहे।

अंचल अधिकारी, चकाई ने अपने पत्रांक–489 दिनांक–30.06.2018 से प्रतिवेदित किया है कि जमाबन्दी संख्या–15 में प्रथम रसीद वर्ष 1983–84 का दर्ज है, मगर प्राधिकार कॉलम में किसी भी इन्द्राज पर हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं है। अतएव जमाबन्दी संख्या–15 में अन्य रैयत की भूमि विपक्षी की जमाबन्दी में कैसे इन्द्राज हुई उसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के जमाबन्दी रद्दीकरण (आंशिक) को स्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी संख्या–15 से खाता संख्या–15, खेसरा संख्या–698 रकवा–1.06 एकड़ भूमि खारिज करते हुये मूल जमाबन्दी में रकवा दाखिल/हस्तांतरण करना सुनिश्चित करें। अगर कोई मूल जमाबन्दी अस्तित्व में नहीं है तो खाता संख्या–15, खेसरा संख्या–698 रकवा–1.06 एकड़ भूमि के बावत दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के सुसंगत धारा में अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

A/Home Jud

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई
3/7/18

3/7/18
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 740 /रा0, दिनांक– 03.07.2018

प्रतिलिपि–विपक्षी/अंचल अधिकारी, चकाई/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/7/18
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।